

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(13)न्याय/2022

जयपुर दिनांक 17.8.2022

::अधिसूचना::

इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 03.06.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए, राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, निम्नलिखित न्यायालयों की अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमायें, निम्नानुसार पुनः नियत करती है :-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	जिला	क्षेत्रीय अधिकारिता की पुनरीक्षित सीमाएँ/क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (उत्तर)	कोटा	कोटा नगर निगम (उत्तर) के वार्ड संख्या 1 से 25 तक का क्षेत्र
2	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1, कोटा (उत्तर)	कोटा	कोटा नगर निगम (उत्तर) के वार्ड संख्या 26 से 50 तक का क्षेत्र
3	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, कोटा (उत्तर)	कोटा	कोटा नगर निगम (उत्तर) के वार्ड संख्या 51 से 70 तक का क्षेत्र
4	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (दक्षिण)	कोटा	कोटा नगर निगम (दक्षिण) के वार्ड संख्या 1 से 25 तक का क्षेत्र तथा नगर निगम (उत्तर) एवं नगर निगम (दक्षिण) के समस्त वार्डों की परिसीमा को छोड़कर तहसील लाडपुरा के शेष समस्त ग्राम
5	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1, कोटा (दक्षिण)	कोटा	कोटा नगर निगम (दक्षिण) के वार्ड संख्या 26 से 50 तक का क्षेत्र
6	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, कोटा (दक्षिण)	कोटा	कोटा नगर निगम (दक्षिण) के वार्ड संख्या 51 से 80 तक का क्षेत्र

राज्यपाल के आदेश से,


३०.८.२०२२

(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच,
जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, कोटा।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर^{ई-}गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


in 17.8.22
(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव